पथ निर्माण विभाग
बिहार सरकार

अधिसूचना

संख्या– प्र06/द0बि0–नियम–03–02/2004 2106(S) पटना, दिनांक – 07/03/17

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता भाग–1 (1958) (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 159(vii), 182A, 292(xvi)(ii) एवं 292(xviii)(xii) को निम्नरूपेण तुरन्त के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं :–

159(vii) कार्य की प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार उस कार्य को सम्पन्न करने का समय, आपवादिक स्थितियों में ही केवल, 3.5 करोड़ तक की संविदा हेतु मुख्य अभियंता एवं 3.5 करोड़ से अधिक की संविदा हेतु प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति द्वारा अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

182A परिमाण–विपत्र (बी0ओ0क्यू0) में सम्मिलित नहीं किये गये कार्य मद को अतिरिक्त मद कहा जाएगा। अतिरिक्त मद के लिए, हमेशा पूरक एकरारनामा अपेक्षित होगा और इसका दर प्राथमिक एकरारनामा की दर से निर्धारित होगी जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है, किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा के दर से अधिक नहीं होगी। प्राथमिक एकरारनामा के परिमाण–विपत्र मंजूर करने के लिये प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर और परिमाण–विपत्र मंजूर किये जायेंगे, लेकिन किसी भी हालत में अतिरिक्त मदों का एकरारनामा प्राथमिक एकरारनामा के 10% [दर–अनुक्रम (मद्वार एवं कुल लागत–दोनों)] से अधिक नहीं होगा। यदि यह 10% से अधिक हो, तो पदानुक्रम में एक स्तर ऊपर वाला (पदाधिकारी) सक्षम प्राधिकार होगा। यदि यह (दर–अनुक्रम और कुल लागत–दोनों) 20% से अधिक हो जाएगी, तो निम्न प्रावधान के अनुसार विभागीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी:–

उपर्युक्त विभागीय अनुमोदन का तात्पर्य प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन से होगा।

शक्तियों का स्वरूप	शक्तियों की सीमा	अभ्युक्ति
292(xvi) (ii) सभी एकरारनामा या ठेके में उपबंधित समय–सीमा में फेर–बदल करना और अर्थ–दंड माफ अथवा कम करना।	पूर्ण शक्ति, उच्चतर प्राधिकार द्वारा निष्पादित मामलों को छोड़कर। बशर्ते 3.50 करोड़ से अधिक के निविदा से संबंधित मामले में समय विस्तार की स्वीकृति की पूर्ण शक्ति प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति की होगी।	मुख्य अभियंता
292(xviii)(xii) अधिकाई परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) मद का अनुमोदन।	परिमाण विपत्र मद मात्रा में अधिकतम 20% मद–क्रम वार तक बढ़ोत्तरी। 20% से अधिक विचलन होने पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।	

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र06/द0बि0–नियम–03–02/2004 2107(S) पटना, दिनांक – 07/03/17

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र06/द0बि0–नियम–03–02/2004 2107(S) पटना, दिनांक – 07/03/17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, इ० गजट कोषांग (गजट) वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। MS Word में CD एवं 2 हार्ड कौपी संलग्न है।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र06 / द0बि0–नियम–03–02 / 2004 2107(S) पटना, दिनांक – 07/03/17

प्रतिलिपिः सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.3.17

सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र06 / द0बि0–नियम–03–02 / 2004 2107(S) पटना, दिनांक – 07/03/17

प्रतिलिपिः अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना / सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग / मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.3.17

सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र06 / द0बि0–नियम–03–02 / 2004 2107(S) पटना, दिनांक – 07/03/17

प्रतिलिपिः माननीय उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.3.17

सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र06 / द0बि0–नियम–03–02 / 2004 2107(S) पटना, दिनांक – 07/03/17

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

7.3.17

सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पथ निर्माण विभाग
बिहार सरकार

अधिसूचना

संख्या– प्र06 / द0बि0–नियम–03–02 / 2004 2106(S) पटना, दिनांक – 07/03/17

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता भाग–1 (1958) (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 159(vii), 182A, 292(xvi)(ii) एवं 292(xviii)(xii) को निम्नरूपेण तुरन्त के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं :–

159(vii) "The time of completion of the work according to the nature and urgency of the work, in exceptional cases only, time extension may be allowed *by* ***Chief Engineer for contracts up to Rs. 3.5 crores and for contracts exceeding Rs. 3.5 crores by Departmental Tender committee presided over by Principal Secretary/Secretary of the Department."***

182A The item of work not included in the Bill of Quantity (BOQ) shall be termed as extra item. For extra item, there should always be a supplementary agreement and rate will be guided by the rate of primary agreement which means the rate approved by the competent authority at the time of primary agreement will be guiding factor for the rate of extra item. It may be lower than that but in any case it should not be more than the rate quoted for the primary agreement. The rate and BOQ shall be sanctioned by the competent authority, authorized to sanction the BOQ of primary agreement but in no case the extra items agreement shall be more than 10% (item-wise and over all cost both) of the primary agreement. If it exceeds by 10% then one level higher in hierarchy shall be the competent authority, if it is more than 20% (item-wise and over all cost both) then departmental approval shall be required subject to the following:

The aforesaid departmental approval would mean approval granted by *Departmental Tender committee presided over by Principal Secretary/Secretary of the Department."*

Nature of powers	Limit of powers	Remarks
292(xvi) (ii) To alter the time limit and to remit or reduce the penalty provided in all agreements or contract.	Full power except in case of those entered into by higher authority. ***Provided that Departmental Tender committee presided over by Principal Secretary/Secretary of the Department will have full power to grant time extension for contracts exceeding a value of Rs. 3.5 crores.***	Chief Engineer
292(xviii)(xii) Approval of excess BOQ item	Increase in BOQ item quantity maximum upto 20% item wise. **For any variation beyond 20% approval of Departmental Tender Committee presided over by Principal Secretary/Secretary of the Department will be required.**	

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र06 / द0बि0–नियम–03–02 / 2004 2107(S) पटना, दिनांक – 07/03/17

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र06 / द0बि0–नियम–03–02 / 2004 2107(S) पटना, दिनांक – 07/03/17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, इ० गजट कोषांग (गजट) वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। MS Word में CD एवं 2 हार्ड कौपी संलग्न है।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रत्तियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

7.3.17

सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र06 / द0बि0–नियम–03–02 / 2004 2107(S) पटना, दिनांक – 07/03/17

प्रतिलिपिः सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.3.17

सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र06 / द0बि0–नियम–03–02 / 2004 2107(S) पटना, दिनांक – 07/03/17

प्रतिलिपिः अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना / सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग / मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.3.17

सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र06 / द0बि0–नियम–03–02 / 2004 2107(S) पटना, दिनांक – 07/03/17

प्रतिलिपिः माननीय उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.3.17

सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र06 / द0बि0–नियम–03–02 / 2004 2107(S) पटना, दिनांक – 07/03/17

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

7.3.17

सरकार के अपर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।